न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2018

1– भंवरलाल पुत्र श्री लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी ग्राम नयागांव ग्राम पंचायत सतावडिया तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0

2– श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री हेमराज जाति जैन निवासी ग्राम सतावडिया तहसील मसूदा

3– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सतावडिया तहसील मसूदा

4– श्री राजेश पुत्र श्री कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सतावडिया तहसील मसूदा

————प्रार्थीगण

ब ना म

1– श्रीमति ललिताबाई पत्नि श्री पूसाराम रेगर

2– श्रीमति कमला पत्नि श्री लाडू रेगर
दोनो जाति रेगर निवासीयान ग्राम सतावडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर

3– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक एंव लैण्ड होल्डर श्रीमान् तहसीलदार, महोदय, मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांक

संक्षिप्तः प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा सतावडियार पटवार हल्का सतावडिया खसरा नंबर 2943, 2944, 2952, 2953, 2955 प्रार्थीगण की खातेदार भूमियां है, जो पास पास एंव एक दूसरे से लगते हुये है, प्रार्थीगण इन खातेदारी भूमियो पर आने जाने हेतू खसरा नंबर 2925 में से होकर एक रास्ता सदियो से पूर्वजो के समय से चला आ रहा है जो खसरा नंबर 2925 का बेचान कर दिये के उपरान्त अप्रार्थीगण ने खरीद से ही प्रार्थीगण के सदियो पुराने उक्त रास्ते को जेसीबी मशीन से मिट्टी डालकर अवरूद्ध कर दिया प्रार्थीगण द्वारा समझाने पर भी नही मानी। प्रार्थीगण उक्त भूमियो पर काबिज काश्त चले आ रहे है, प्रार्थीगण की कृषि भूमियों पर आवागमन हेतू रास्ता खसरा नंबर 2925 पर होकर जाया जाता है, जबकि उक्त खसरा नंबर 2925 की भूमियां अप्रार्थीगण ने क्रय कर ली है, प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 2925 मे से होकर ही अपनी उक्त भूमियां तक आवागमनल का कदीमी रास्ता बनाया हुआ होकर उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण खसरा नंबर 2944, 2952, 2955, 2953 तक प्रार्थीगण विधि अनुसार रास्ता प्राप्त करने को सहमत तत्पर व तैयार है, तथा प्रार्थीगण को सुखाधिकार भी हांसिल है। प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण के पक्ष में सम्पूर्णतया अथवा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ भाग में 30 फीट चौडा रास्ता उदघोषित किया जाकर प्रार्थीगण राजकीय दरो से डी0 एल0सी0 भुगतान हेतू सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि खसरा नंबर 2925 में से 30 फीट रास्ते की तरमीम नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के पश्चात जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 01 दिनांक 15.5.2018 के प्रस्तुत कर कथन किया है, कि वादीगण की भूमियों में अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 2925 में से सुगम रास्ता चाहे जाने पर इस खसरा नंबर 198 X 20 = 3960 वर्गफुट भूमि रास्ते के रूप में कार्य में लाई जावेगी तथा खसरा नंबर 2925 में से रास्ता के रूप में कार्य में लाई जावे तो इसकी डी0एल0सी0 दर 52,000/– रूपये प्रतिबीघा है।

52,000/– रूपये प्रतिबीघा है।

प्रकरण में उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 2943, 2944, 2952, 2953, 2955 स्वयं की खातेदारी की भूमियां होना बताया है परन्तु खसरा संख्या उक्त भूमियों में से खसरा संख्या 2955 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां नहीं एव ना ही उक्त भूमि खसरा संख्या 2955 में वर्तमान जमाबन्दी में अंकित खातेदार काश्तकारान को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, यह उल्लेखनीय है कि बिना पक्षकारान की सहमति एवं नियमानुसार जो शुल्क राशि बनेगी उसका भुगतान खातेदारान की सहमति बिना संभव नहीं है एवं प्रकरण में पक्षकार ही नहीं बनाए गए। चूंकि रास्ते के मामले को देखते हुए यह प्रार्थना पत्र इस आशय से खारिज़ किया जाता है कि प्रार्थीगण सम्पूर्ण खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 15.5.2018 को सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 15:19:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: